

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) एक भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामिनिगम को देनी पड़ेगी ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी कतिपय के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

रक्त खिड़की केवल आवासीय उपयोगों के लिए

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 840 दिनांक 04/11/2021

प्रार्थी श्रीमती विजय पांडे W/O श्री लखण पांडे

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No. 212 सेक्टर 8 अरवली नगर

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 125000 जमा

जारी रसीद संख्या 9062/3393, 3394

दिनांक 04/01/2022 को जमा करा दी है ।

राजेश कुमार

सहायक नगर निर्माता  
नगर निगम, जोधपुर

01-96192

जी + 1  
आवासीय